उनवान

मुकदमा नं

16/08/19	वकील प्रार्थी हाजिर। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] बहस कि 21/08/19 को पेश हो। Riy
21/08/19	[illegible] P.O [illegible] [illegible] [illegible] 05/9/19 [illegible]
5/9/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस की stage पर पत्रावली है अतः वकील प्रार्थी को आराजी की जमाबंदी की नवीनतम प्रतिलिपि पेश करने हेतु निर्देशित किया जाता है। पत्रावली वास्ते पेश होने नवीनतम जमाबंदी प्रतिलिपि तथा बहस डिमेक 11/9/19 को पेश हो। Riy
11-9-19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने वांछित नवीनतम प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी दस्तावेजात पेश किये। जो शा. पत्रावली बहस स्थगन वकील प्रार्थी के सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश डिमेक 27/9/19 को पेश हो। Riy
27/9/19	पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस पर मनन किया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है कि जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा अप्रार्थी सं. 1 को प्रतिबंधित किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा सं. 394/84 रकबा 1.29 है.

भाषक संघ, सीकर

Scanned with CamScanner

खसरा सं. 404/180 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा सं. 403/190 रकबा 1.26 हैक्टेयर, खसरा सं. 399/191 रकबा 1.33 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 4.15 हैक्टेयर वाके ग्राम गड़ाकाबली तहसील धोद जिला सीकर की मूल दावा के निर्णय तक मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। निर्णय प्रपत्र के लिखवाकर जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावा के संलग्न हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र / 29 / 2017

हरफूल दत्तक पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी भडकासली तहसील धोद जिला सीकर
–प्रार्थी

बनाम

1. गिरधारी पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी भडकासली तहसील धोद जिला सीकर
2. उपपंजीयक, धोद
3. तहसीलदार, धोद

–अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–
1. श्री गणपत लाल वकील प्रार्थी की ओर से

–:आदेश:–

दिनांक– 27.09.2019

1. प्रार्थी कि ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि उपरोक्त उनवानी वाद आज विधिवत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है, जिसमें प्रार्थी को अपनी सफलता की पूर्ण आशा है। विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 394 / 84 रकबा 1.29 हैक्टर, खसरा न. 404 / 180 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा न. 403 / 190 रकबा 1.26 हैक्टर, खसरा न. 399 / 191 रकबा 1.33 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 4.15 हैक्टर वाके ग्राम भडकासली तहसील धोद जिला सीकर की तन में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमियों में 1 / 2 हक, हिस्सा प्रार्थी का तथा 1 / 2 हक, हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 का रहा है, जिनमें अप्रार्थी संख्या 1 ने 1 / 2 हक व हिस्से में से 0.45 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को बेचान कर दी। उपर्युक्त कृषि भूमियां पैतृक कृषि भूमियां रहीं है, जो कि पूर्व में प्रार्थी के दादा जीवणराम के खाते, कब्जे, काश्त में थीं। उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसों के नाम खातेदारी दर्ज हो गई। अप्रार्थी संख्या 1 के कोई जाईन्दा पुत्र संतान न होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के जाईन्दा माता–पिता की सहमति एवं स्वीकृति से हिन्दू रीति–रिवाज एवं परंपरा के अनुसार प्रार्थी को अपनी गोद में बैठाकर सिर पर हाथ फेरकर परिवारजन एवं कुटुम्बजनों के सामने गोद लेने व देने की रस्म कर दत्तक ग्रहण किया था। प्रार्थी को अप्रार्थी सं. 1 ने सम्वत् 2032 के बैसाख माह में आखातीज के शुभदिन पर जाट जाति की रीति रिवाज के अनुसार गोद लिया था। वादी के दत्तक के सम्बन्ध में कोई विवाद न हो इसलिए दिनांक 23.05.2014 को उक्त दत्तक ग्रहण को उपपंजीयक कार्यालय धोद में पंजीकृत कराया गया। प्रार्थी तब से लेकर आज तक अपने दत्तक माता–पिता के साथ रहकर बडी लगन और निष्ठा से उनकी सेवा करता चला आ रहा है तथा वाद ग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। यह कि प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 का दत्तक पुत्र है दत्तक पुत्र को वही अधिकार प्राप्त है जो एक जाईन्दा पुत्र को प्राप्त होते है। इस कारण वाद ग्रस्त भूमियों में प्रार्थी 1 / 2 भाग की खातेदारी अपने नाम उदघोषित करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी सं. 1 ने वादग्रस्त भूमियों खसरा नं. 403 / 190, 399 / 191 में से 0.45 हैक्टेयर भूमि का नुमाइशी विक्रय पत्र वाद की प्रतिवादी सं. 2 के

उपखण्ड अधिकारी
धोद सीकर

Scanned with CamScanner

पक्ष में निष्पादित एवं पंजीकृत करवा दिया, जो कि सर्वथा अवैध, शून्य एवं प्रभावहीन है। यदि अप्रार्थी सं. 1 वादग्रस्त भूमि को विक्रय कर देगा तो प्रार्थी का वाद प्रस्तुति का उद्देश्य ही विफल हो जायेगा और अपूरणीय क्षति होगी। वादग्रस्त भूमि की खातेदारी दर्ज होने की स्थिति का अनुचित लाभ उठाकर अप्रार्थी सं. 1 वादग्रस्त भूमियों को विक्रय कर प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है। दिनांक 02.06.2017 को अप्रार्थी सं. 1 वाद की प्रतिवादी सं. 2 के सहयोग से वादग्रस्त भूमियों पर अजनबी व्यक्तियों को लेकर आये और वादग्रस्त भूमियां उन्हें दिखाकर विक्रय का सौदा करने लगे। अप्रार्थी सं. 1 की उक्त कुचेष्टाओं के कारण प्रार्थी के वैध अधिकारों पर भारी आघात होने की संभावना उत्पन्न हो गई है। इसलिए अप्रार्थी सं. 1 को उपरोक्त दुष्कृत्यों से बाज रहने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना, उचित, आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थी का प्रबल प्राईमाफेसाई केस है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः आवेदन उचित न्याय शुल्क पर सादर प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को मय उनके परिवारजन, नौकरजन, एजेंटगण, प्रतिनिधिगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 394/84, 404/180, 403/190, 399/191 कुल किता 4 कुल रकबा 4.15 हैक्टर वाके ग्राम भड़कासली तहसील धोद जिला सीकर पर किसी प्रकार कच्चा–पक्का निर्माण करने, रहन विक्रय हस्तान्तरण करने, पेड़ पौधे काटने, प्रार्थी के उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की बाधाएं डालने बलात बेदखल करने, मौका सुरत बदलने से बाज रहे।

2. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. बहस एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी कि ओर से यह कथन किया गया कि अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थी को जब दत्तक ग्रहण किया उस समय से ही वह अप्रार्थी सं. 1 के पास रहता रहा है। अप्रार्थी सं. 1 को आवेदन पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमियों को विक्रय करने का कोई हक अधिकार नहीं है। यदि अप्रार्थी सं. 1 वादग्रस्त भूमि को विक्रय कर देगा तो प्रार्थी का वाद प्रस्तुति का उद्देश्य ही विफल हो जायेगा और अपूरणीय क्षति होगी। वादग्रस्त भूमि की खातेदारी दर्ज होने की स्थिति का अनुचित लाभ उठाकर अप्रार्थी सं. 1 वादग्रस्त भूमियों को विक्रय कर प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने के कारण उक्त टी.आई. आवेदन स्वीकार किया जावे।

4. प्रार्थी के वकील की बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। टीनेंसी एक्ट की धारा 212 के तहत टी.आई. प्राप्त करने के लिए तीन आधारों– प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति– का प्रार्थी के पक्ष में होना आवश्यक है। उक्त प्रकरण में पत्रावली में संलग्न रजिस्टर्ड गोदनामें से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को अप्रार्थी सं. 1 ने दत्तक पुत्र के रूप में गोद 9 वर्ष की उम्र में ले लिया था। अतः प्रार्थी को अप्रार्थी की पैतृक सम्पति में वहीं अधिकार प्राप्त है, जो एक जायन्दा पुत्र को प्राप्त होते है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत् 2014–2017 के अनुसार विवादित आराजी अप्रार्थी सं. 1 के पिता जीवण के नाम दर्ज थी। इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी की खातेदारी अप्रार्थी सं. 1 को जरिये विरासत प्राप्त हुई है। अतः विवादित कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है, जिसमें दत्तक पुत्र को भी वही अधिकार प्राप्त है, जो जायन्दा पुत्र को जन्मतः प्राप्त होते है। उपर्युक्त विवरण सं यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned with CamScanner

अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। वर्तमान में विवादित आराजी की खातेदारी अप्रार्थी सं. 1 के नाम पर है, अतः यदि अप्रार्थी सं. 1 इनका बेचान इतर व्यक्ति को करता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

5. अतः उपर्युक्त विवरण के अनुसार पृथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने तथा अपूरणीय क्षति का बिंदु भी प्रार्थी के पक्ष में होने के कारण प्रार्थी का आवेदन अ. धारा 212 टी.आई. स्वीकार किया जाकर जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी सं. 1 को प्रतिबंधित किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 394/84 रकबा 1.29 हैक्टर, खसरा न. 404/180 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा न. 403/190 रकबा 1.26 हैक्टर, खसरा न. 399/191 रकबा 1.33 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 4.15 हैक्टर वाके ग्राम भड़कासली तहसील धोद जिला सीकर की मूल दावा के निर्णय तक मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावा के संलग्न हो।

यह निर्णय आज दिनांक 27.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

उपखण्ड अधिकारी, धोद न्यायालय सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner